「二日」「「「「「「「「「」」」

こう しんし いっている あめで 大いた ちっまだいたい



## The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 814] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 2007/आषाढ़ 12, 1929 No. 814] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 2007/ASADHA 12, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली 3 जुलाई, 2007

का.आ. 1083(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सारणी के स्तंभ 1 में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग को उक्त सारणी के स्तंभ 2 में उसके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी सेक्शन को, उक्त सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट भू-खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	कि.मी. में भू-खण्ड
(1)	(2)	(3)
48	कर्नाटक राज्य में देवीहल्ली से रा.रा. मार्ग 48 सहित रा.रा. मार्ग 4 पर नीलमंगला जंक्शन	कि.मी. 28.200 से 110.000 कि.मी.

[फा. सं. रा.रा.-14013/7/2007-पी एण्ड एम] सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways) NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2007

**S.O. 1083(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch specified in column 3 of the Table below, of the corresponding Section as mentioned against it in column 2 of the said Table, of the National Highway as described in column 1 of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE			
National High- way No.	Section	Stretch in Cilometer	
(1)	(2)	(3)	
48	Neelmangla Junction on NH 4 with NH 48 to Devihalli in the State of Karnata		
	[F. NO. NH-14	4013/7/2007-P&M]	

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

2999 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.